

फ़द अहकान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदय

वादी : कालूलाल

विपक्षी : मनोहरलाल

किस्म मुकदमा : वाद

पत्रावली संख्या : 89/19 सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
---------	-----------------

दिनांक : 20.03.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। वादी को पूर्व में प्रतिवादी संख्या एक के वारिसान की तामील एवं संशोधित अनवान हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। बावजूद इसके वह उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय द्वारा रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ है। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा नहीं अपना वाद चलाना चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(रिया डाबी)

आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

